न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 77/2016 निर्णय दिनांक :– 9.11.20

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला–जयपुर

––वादी

बनाम

1. बोदूराम पुत्र रामनाथ मीणा
2. बाबूलाल पुत्र गोरर्धन मीणा

निवासीयान गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर जयपुर

3. भौंरी लाल
4. गोपाल
5. रामजीलाल,
6. रामफूल
7. छोटूराम

पुत्रांन महादेव जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील कोटखावदा जयपुर।

8. छीतर पुत्र किशना
9. रामधन पुत्र काना
10. सूज्या पत्नि स्व. काना
11. रामकरण
12. श्योजी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

13. हनुमान

पुत्रांन महादेव जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील कोटखावदा जयपुर।

14. गिर्राज

15. रमेश

16. बन्नालाल

पुत्रांन प्रहलाद जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील कोटखावदा जयपुर।

17. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक शाखा चाकसू।

18. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चाकसू।

19. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कोटखावदा

20. मैनेजर कैनरा बैंक शाखा गरूडवासी

——अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पैरोकार सरकार द्वारा किया गया कि तहसील कोटखावदा पटवार मण्डल बडोदिया के ग्राम कंवरपुरा के आ.ख.न 294 रकबा 1.40 है0 किस्म बारानी भौंरी श्री बोदूराम पुत्र रामनाथ मीणा हिस्सा 1/3 बाबूलाल पुत्र गोरर्धन मीणा हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/12+18/573 भौंरी लाल गोपाल, रामजीलाल,

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

रामफूल, छोटूराम पुत्रांन महादेव हिस्सा 1/6 छीतर पुत्र किशना हिस्सा 1/6 रामधन पुत्र काना हिस्सा 6/577 सूज्या पत्नि स्व. काना हिस्सा 1/24, रामकरण, श्योजी, हनुमान पुत्रांन हुकमा जाति जाट हिस्सा 3/8, गिर्राज, रमेश बन्नालाल पुत्रांन प्रहलाद जाति जाट हिस्सा 1/8 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक शाखा चाकसू, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चाकसू, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कोटखावदा, कैनरा बैंक शाखा गरूडवासी हिस्स सम्पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 तक संलग्न है। कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बडोदिया अप्रार्थीगण द्वारा ख.न 294 रकबा 1.40 है0 किस्म बारानी 3 जो कृषि भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत भूमि कृषि प्रयोजन हैतु होती है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सपरिवर्तन कराये उक्त ख.न 294 रकबा 1.40 है0 कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्ध है। ख.न 294 रकबा 1.40 है का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। प्रथम दृष्टया केश व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यह है कि अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राजरू सरकार को अपूर्णीनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में सम्भव नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम कंवरपुरा के ख.न 294 रकबा 1.40 है0 किस्म बारानी अर्थात 14000 वर्ग मीटर की

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

खातेदारी अधिकारी समाप्त किये जाकर उक्त ख.न 294 रकबा 1.40 है0 सिवायचक सरकार घोषित किया जावें तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र 177 के तहत तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी तो अप्रार्थीगण हाजीर अदालत आये व प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है कि तहसील कोटखावदा पटवार मण्डल बडोदिया के गांव कंवरपुरा के आराजी खसरा नंबर 294 रकबा 1.40 है0 किस्म बारानी भूमि में मिन अप्रार्थी संख्या 1 बोदूराम पुत्र रामनाथ मीणा का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 बाबूलाल पुत्र गोरधन मीणा का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 8 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 9 का 6/577 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 13 का 3/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 16 का 1/8 हिस्सा होना स्वीकार है तथा उक्त मद में वर्णित खसरा नंबर 294 रकबा 1.40 है0 भूमि व उक्त खसरा नंबर के अलावा अन्य आराजी खसरा नंबरों की भूमि उक्त मद में वर्णित भूमि खसरा नंबर 294 रकबा 1.40 है0 भूमि व अन्य खसरा नंबरो की भूमि को उक्त भूमि के पूर्व रिकार्डेड खातेदार कल्याण सहाय पुत्र नाथूलाल मीणा से उक्त आराजी भूमि व अन्य भूमियों में स्थित उसका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2013 को क्रय किया गया तथा उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त आराजी भूमि खसरा नंबर 294 रकबा 1.40 है0 भूमि व अन्य खसरा नंबरों की भूमि में स्थित पूर्व खातेदार कल्याण सहाय पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

अवलोकन किये ही मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अन्य खातेदारों के विरूद्ध खसरा नंबर 294 के बाबत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही बाबत जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह विधि विरूद्ध है। चूंकि उक्त खसरा नंबर 294 का खातेदारों के मध्य विभाजन होने के कारण मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में खसरा नंबर 294/1 रकबा 1.18 है0 भूमि हिस्से में आई है तथा उक्त मद में वर्णित भूमि खसरा नंबर 294 व उक्त खसरा नंबर के अलावा अन्य खसरा नंबर की भूमियों में निहित पूर्व खातेदार कल्याण सहाय पुत्र नाथूराम का हिस्सा कय किय गया था, उस समय भी उक्त भूमि खसरा नंबर 294 में पुख्ता निर्मित ईट भटटा स्थित था, जिसका उल्लेख विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2013 में स्पष्ट रूप से किया गया है, जो भटटा पूर्व से ही निर्मित है, जो पूर्व से ही बन्द पडा है, जिसको मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ना तो काम में लिया जा रहा है और ना ही उक्त भटटे के माध्यम से ईटे निर्मि त की जा रही है। उक्त भटटा वर्तमान में बन्द पडा है। जिसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय द्वारा बिना मौके पर गये ही तथा वास्तविक स्थिति मालुम किये बिना ही विधि विरूद्ध रूप से मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अन्य खातेदारों के विरूद्ध खसरा नंबर 294 के बाबत विधि विरूद्ध रूप से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही बाबत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो प्रार्थना विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है तथा मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से में बाद विभाजन आये खसरा नंबर 294/1 रकबा 1.18 है0 भूमि में पूर्व से निहित बन्द पडे ईट भट्टे को चालू करने बाबत

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

अनुमति का प्रार्थना पत्र कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 294/1 को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने की अनुमति नही दी गई। जिस पर मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 294/1 में पूर्व से निर्मित बन्द पडे ईट भट्टे को चालू नही किया गया तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में भी बारानी कृषि भूमि है, जिस पर मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कोई अकृषि कार्य नही किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखा गया है, प्रार्थी स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखा गया है कि पटवार हल्का बडोदिया में स्थित खसरा नंबर 294 रकबा 1.40 है0 भूमि बारानी 3 जो कृषि भूमि होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु होना स्वीकार है। शेष कथन जिस प्रकार से लिखे गये है, गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बाद विभाजन अपने हिस्से में आई भूमि खसरा नंबर 294/1 रकबा 1.18 है0 भूमि पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य नही किया जा रहा है और ना ही उक्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है, गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बाद विभाजन अपने हिस्से में आई भूमि खसरा नंबर 294/1 रकबा 1.18 है0 भूमि पर किसी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

प्रकार को कोई अकृषि कार्य नही किया जा रहा है और ना ही उक्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र गलत व मिथ्या कथनों के आधार पर होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। तथा मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व जवाब प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र व प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित ना होकर मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण प्रार्थी का धारा 177 का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित कथन जिस प्रकार से लिखे गये है, गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बाद विभाजन अपने हिस्से में आई भूमि खसरा नंबर 294/1 रकबा 1.18है0 भूमि पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य नही किया जा रहा है और ना ही उक्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है तथा उक्त भूमि बाबत माननीय न्यायालय द्वारा धारा 177 की कार्यवाही की जाती है तो अपूर्तनीय क्षति मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को होगी, ना कि प्रार्थी को। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र गलत व मिथ्या कथनो के आधार पर होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य हैं प्रार्थना पत्र का मद संख्या 8 जिस प्रकार लिखा गया है प्रार्थी स्वंय साबित करें। प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)